तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/2/2020	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की दिनांक 17.02.2020 को बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 20.01.2020 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया कि गोविन्दा के तीन पुत्र क्रमश: गंगाराम, नाथू व रामधन थें। वर्तमान अपीलांट वर्षो पूर्व से अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है और उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2020 में भी वर्तमान अपीलांट का वादग्रस्त आराजीयात के 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त होना पाया है। सभी तथ्य रेस्पोडेन्टस की जानकारी में थे तो ऐसी स्थिति में वर्तमान अपीलांट वाद में आवश्यक पक्षकार था परन्तु रेस्पोडेन्ट ने बदनीयती पूर्वक वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना आपस में दुर्रभिसंधि कर एवं न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर एक तरफा में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। वर्तमान अपीलांट द्वारा वर्तमान रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 12/2001 उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के समक्ष पेश कर रखी थी। उक्त अपील दिनांक 13.01.2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार, मौजमाबाद को आदेश दिया कि ग्राम पंचायत गुढ़ा बेरसाल पंचायत समिति दूदू द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण आदेश दिनांक 14.03.1964 खारित किया है। अपीलाधीन भूमि का विरासतन नामान्तकरण अपीलार्थी गंगाराम 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 06 (रामधन के वासिान)1/3 हिस्सा एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट नाथूराम पुत्र गोविन्दा 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाए। वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त तथ्यों को न्यायालय से छिपाते हुए बदनीयतीपर्वूक आपस में रामधन के वारिसों ने दुर्रभिसंधि कर उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा वर्तमान अपीलांट के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 13.01.2020 के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं होने देने व वर्तमान अपीलांट को हैरान परेशान की नीयत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर त्रुटिपूर्ण आदेश प्राप्त किये है, जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में भारी त्रुटि कारित की है, जो इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य हैं। मान्नीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा समय समय पर विभिन्न विधिक दृष्टांत पारित कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सहखातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना रूप अपनाते हुए विधिक त्रुटि कारित की है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावें अथवा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति ताफैसला अपील स्थगित किये जाने का आदेश प्रदान करावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ..... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि ववादग्रस्त आराजीयात अविभाजित आराजी है विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है पक्षकारान हिस्से अनुसार पारस्परिक सहमति से मौके पर आराजी काश्त करते है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 05 जो संयुक्त हिस्सेदार है कि नीयत में फितुर उत्पन्न हो गया है और वह बसाज वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने एवं बिना तकासमा आराजी अन्य को विक्रय कर मनचाहा स्थान पर कब्जा कराने, राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने एवं वादी का उसकी पुश्तैनी आराजीयात में प्राप्त अधिकारों/हिस्से से वंचित करने पर उतारू है व हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने पर उतारू होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अपीलांट ने यह अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमें विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति दी है उससे अपीलांट को किसी प्रकार क्षति उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकर के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील खारिज की जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रतिं एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकारान संयोजित नहीं कर, अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है, जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है इसलिए अपीलांट को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अन्तरिम आदेश पारित किये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। पक्षकारान के समय व व्ययता को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत अपील का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.01.2020 के आदेश को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) का निस्तारण उभयपक्षकारान की सुनवाई का इस आदेश से एक माह में करें। ।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अपीलांट विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं इसलिए हितबद्ध पक्षकार होने से प्रस्तुत प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

तत्पश्चात अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभयपक्षकारा को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से एक माह में निस्तारण करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

18/2/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी